



रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/पीएण्डए/ भर्ती/ अनुबंध/ अधिकारी/ 2025/10
दिनांक 03 दिसंबर 2025

कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरल अनुसूची 'ए' कंपनी, कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड (सीएसएल), कोझी में अनुबंध के आधार पर अधिकारियों के निम्नलिखित पदों को भरने के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है:

I. पदों का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव

तालिका 1

क्र.सं.	पदों का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
1.	अनुबंध के आधार पर सुरक्षा सलाहकार	<u>अनिवार्य:</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक <u>वांछनीय:</u> औद्योगिक सुरक्षा/सुरक्षा प्रबंधन/रक्षा अध्ययन में स्नातकोत्तर योग्यता या डिप्लोमा।	रक्षा सेवाओं (सेना/ नौसेना/ वायुसेना)/ गृह मंत्रालय (एमएचए)/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अंतर्गत सूचीबद्ध केन्द्रीय पुलिस संगठन से सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनके पास कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो तथा वेतन स्तर 12 (7वें सीपीसी) या उससे ऊपर सेवानिवृत्त हों। औद्योगिक या रक्षा प्रतिष्ठान में सुरक्षा प्रबंधन में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
2.	अनुबंध के आधार पर परियोजना सलाहकार (एकीकृत सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली)	<u>अनिवार्य:</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक <u>वांछनीय:</u> औद्योगिक सुरक्षा / सुरक्षा प्रबंधन / रक्षा अध्ययन में स्नातकोत्तर योग्यता या डिप्लोमा।	क) रक्षा सेवाओं (सेना/ नौसेना/ वायुसेना)/ गृह मंत्रालय (एमएचए)/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अंतर्गत सूचीबद्ध केन्द्रीय पुलिस संगठन से सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनके पास कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो तथा वेतन स्तर 11 (7वें सीपीसी) या उससे ऊपर सेवानिवृत्त हों। औद्योगिक या रक्षा प्रतिष्ठान में सुरक्षा प्रबंधन में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। या ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से



			सेवानिवृत्त अधिकारी जो वेतनमान ई4 या उससे ऊपर पर सेवानिवृत्त हो तथा सुरक्षा प्रबंधन में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
3.	अनुबंध के आधार पर सुरक्षा अधिकारी	<p>अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक</p> <p>वांछनीय: औद्योगिक सुरक्षा / सुरक्षा प्रबंधन / रक्षा अध्ययन में स्नातकोत्तर योग्यता या डिप्लोमा।</p>	<p>रक्षा सेवाओं (सेना/ नौसेना/ वायुसेना)/ गृह मंत्रालय (एमएचए) /केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अंतर्गत सूचीबद्ध केन्द्रीय पुलिस संगठन से सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनके पास कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो तथा वेतन स्तर 10 (7वें सीपीसी) या उससे ऊपर सेवानिवृत्त हों।</p> <p>औद्योगिक या रक्षा प्रतिष्ठान में सुरक्षा प्रबंधन में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।</p>

II. महत्वपूर्ण तिथि:

ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ

: 05 दिसंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

: 20 दिसंबर 2025

III. रिक्तियों की संख्या व आरक्षण:

तालिका 2

क्र.सं.	पदों का नाम	अनारक्षित
1.	अनुबंध के आधार पर सुरक्षा सलाहकार	1
2.	अनुबंध के आधार पर परियोजना सलाहकार (एकीकृत सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली)	1
3.	अनुबंध के आधार पर सुरक्षा अधिकारी	2
कुल		4

क) अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है।



- ब) रोजगार की प्रकृति में निहित याड़ों और जलयानों के लगातार दौरे के कारण, इस पद को बेचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित नहीं है।

IV. अनुबंध की अवधि व तैनाती का स्थान:

- क) उपरोक्त सभी पद प्रारंभ में **एक वर्ष** की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर हैं, तथा संगठनात्मक आवश्यकताओं और वैयक्तिक प्रदर्शन के अधीन दो वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध पर होंगे।
- ख) **तैनाती सीएसएल / सीएसएल** के अन्य यूनिटों/सीएसएल द्वारा वांछितानुसार परियोजना स्थलों पर होगी। हालांकि, परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, उम्मीदवार को सीएसएल की विभिन्न यूनिटों में स्थानांतरित किया जा सकता है। पदों पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या ऑफिस वाले पर या किसी अन्य यूनिट/ कार्य स्थल/ भारत या विदेश के किसी भी भाग में आरंभ की गई परियोजना, जैसे भी मामला हो, में सेवा करने का दायित्व है।

V. पारिश्रमिक:

- क) सभी पदों हेतु पारिश्रमिक विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका 3

क्र.सं.	पदों का नाम	समेकित वेतन (प्रति महीने)
1.	अनुबंध के आधार पर सुरक्षा सलाहकार	₹ 2,00,000/-
2.	अनुबंध के आधार पर परियोजना सलाहकार (एकीकृत सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली)	₹ 1,50,000/-
3.	अनुबंध के आधार पर सुरक्षा अधिकारी	₹ 59,000/-*

* अनुबंध के आधार पर सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए समेकित वेतन पर बातचीत की जाएगी।

VI. आय:

- क) **अनुबंध के आधार पर सुरक्षा सलाहकार और परियोजना सलाहकार (एकीकृत सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली)** के पदों के लिए, उच्चतम आयु सीमा 20 दिसंबर 2025 तक **62 वर्ष** से अधिक नहीं होगी अर्थात् आवेदकों का जन्म दिनांक 21 दिसंबर 1963 को या उसके बाद होना चाहिए।
- ख) **अनुबंध के आधार पर सुरक्षा अधिकारी** के पद के लिए, उच्चतम आयु सीमा दिनांक 20 दिसंबर 2025 तक **50 वर्ष** से अधिक नहीं होगी, अर्थात् आवेदक का जन्म दिनांक 21 दिसंबर 1975 को या उसके बाद होना चाहिए।



VII. चयन की रीति :

क) चयन की विधि पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार के माध्यम से होगी। केवल वे उम्मीदवार जो प्रमाणपत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, उन्हें पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा। पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड (सीएसएल), कोच्ची में आयोजित किया जाएगा। अंतिम चयन के लिए अंक निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर निर्धारित किए जाएँगे:

- कार्य अनुभव का आकलन करने के लिए पावरपॉइंट प्रस्तुतीकरण - 80 अंक
 - वैयक्तिक साक्षात्कार - 20 अंक
- कुल - 100 अंक**

ख) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार करने का अधिकार रखता है और केवल ऐसे लघुसूचीगत उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

ग) उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र मूल रूप में तथा स्वयं सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी, अन्यथा उन्हें पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।

घ) पदों के लिए रैंक सूची उम्मीदवारों द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो सापेक्ष योग्यता आयु में वरिष्ठता के आधार पर तय की जाएगी।

VIII. शर्तें:

क) आरक्षण

i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।

ख) योग्यता

i) पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखनेवाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iii) किसी आवेदकों को पदों के लिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अहंक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है। कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और कुल ग्रेड अंक (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित नहीं करते हैं। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी में और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने हेतु मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। फिर भी, जहां विश्वविद्यालय/संस्थान/ परीक्षा कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड निर्धारित नहीं करती है, वहां आवश्यक प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए कुल ग्रेड अंक को 10 से गुणा किया जा सकता है।

ग) अनुभव

- i) **उपरोक्त के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 20 दिसंबर 2025 से की जाएगी।**
- ii) **पारिश्रमिक सहित प्रशिक्षण को अनुभव माना जाएगा।**
- iii) **उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए अनुभव को प्रमाणित करने के लिए सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा आगे चयन के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- iv) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश प्रस्तुत करना चाहिए। जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र / बुक में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सेवा अवधि के दौरान प्राप्त ऐसी योग्यता को भी योग्यता पञ्चात् अनुभव की गणना में शामिल माना जाएगा। योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित क्षेत्र में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- v) जो आवेदक सेवानिवृत्त सीपीओ/सीएपीएफ कार्मिक हैं, उन्हें संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त डिस्चार्ज प्रमाण पत्र तथा प्रासंगिक अनुशासन में अनुभव दर्शाने वाले सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।



- vi) आवेदकों को स्पष्ट रूप से किए गए कार्य की प्रकृति और कर्तव्यों, संबंधित कार्यों में संभाली गई जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही अधिसूचित पदों केलिए अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय इसके प्रमाण के रूप में अनुभव प्रमाणपत्र भी अपलोड करना होगा।

घ) आवेदन शुल्क :

- i) ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ वॉलेट/ यूपीआई आदि) का उपयोग करके ₹ 400/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 05 दिसंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। **भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
- ii) अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से संबंधित उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों को छोड़कर, उपरोक्त खंड में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। **यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।**

ङ) आवेदन कैसे करें

- (i) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल, कोझी) लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू को पढ़ना चाहिए। आवेदन दो चरण होते हैं – एक बार पंजीकरण और लागू पद केलिए आवेदन प्रस्तुत करना। आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।
- (ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक एसएपी ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण कर सकते हैं और आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना आवेदन करने की सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ → सीएसएल, कोझी) के माध्यम से दिनांक 05 दिसंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025 तक प्राप्त की जा सकती है। **सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
- (iii) आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति आदि के प्रमाण के रूप में सभी प्रमाणपत्र और एक हालिया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया गया है अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई हैं और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- (v) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति "प्रगति में" के रूप में (इनप्रोसस) दिखाई जाएगी। आवेदन की प्रस्तुति के बाद, "उम्मीदवार" माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति "प्रगति में" है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) **ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए।** ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्धृत की जानी चाहिए।
- (vii) **आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डिडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।**
- (viii) वेबसाइट **दिनांक 05 दिसंबर 2025** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **दिनांक 20 दिसंबर 2025** है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने केलिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें। **आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा एसएपी आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।**

च) सामान्य :

- i) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पदों के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।
- ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा :- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।
 - क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में सेवा की है, और



- i. जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या
 - ii. जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या
 - iii. स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है;
- ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात् निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या
- ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित ; या
- घ) कार्मिक, जो अप्रैल 14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या
- ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशक्त बलों के वीरता पुरस्कार विजेता ; या
- च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा दिव्यांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो ।
- iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेजी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता,



चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

- v) **चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।**
- vi) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल, चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या उसके बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।
- vii) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- viii) **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए ई मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। चयन की अनुसूची ईमेल/ सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→ सीएसएल, कोच्ची) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन के लिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→ सीएसएल, कोच्ची) को बार- बार देखें।
- ix) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने और चयन हेतु बुलावा पत्र जारी करने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोजगार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।
- x) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।
- xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि के लिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।



- xii) सभी पदों के लिए रैंक सूची बनाए रखी जाएगी और रैंक सूची की वैधता अवधि अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी जो परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने के लिए सलाह दी गई उम्मीदवारों की सूची से, या उसी पद के लिए नई अधिसूचना जारी होने तक होगी। यदि रैंक सूची से शामिल होने के लिए सलाह दी गई उम्मीदवार के शामिल न होने या रैंक सूची से चयनित उम्मीदवार के बाद में अलग होने के कारण कोई रिक्ति होती है, तो रैंक सूची संचालित की जा सकती है। रैंक सूची को सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमोदन के साथ रैंक सूची की वैधता के दौरान उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों को भरने के लिए भी किया जा सकता है।
- xiii) इस अधिसूचना में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।
- xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।
- xv) चयनित उम्मीदवार को कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन के उपयोग के संबंध में सीएसएल नीति का अनुपालन करने का वचन देना आवश्यक है।
- xvi) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।
- xvii) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- xviii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
- xix) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।



कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

xx) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और आगे स्पष्टीकरण के लिए हमें कृपया career@cochinshipyard.in ईमेल या लांड लैन नं 0484 - 250 1221 पर संपर्क करें।

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”

“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।”

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)

